HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 14984/2024

Gopal Lal Jat S/o Late Shri Jeevan Ram, Aged About 54 Years, R/o Barad Walon Ki Dhani, Harkana Wali Dhani, Shiv Vihar Colony, Village Jagat Shiromanipura, Police Station Muhana District Jaipur South, At Present Tenant House Shri Hanuman Choudhary, Chittora Road, Village Harsuliya, Police Station Renwal, District Jaipur, Jaipur Rural (Rajasthan) (At Present Confined At Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. yashwardhan Nandwana, Adv. Mr. Jay Bhardwaj, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Gupta, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

17/12/2024

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अन्तर्गत पुलिस थाना–**चाकसू, जयपुर ग्रामीण** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**353/2015** अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भा.दं.सं. में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, लम्बे समय से अभिरक्षा में है, विचारण में समय लगेगा, इसलिए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में अभियुक्त के विरूद्ध दस्तावेजों की कूटरचना कर धोखाधडी किये जाने का आरोप है, प्रथम जमानत आवेदन वापिस लिये जाने के आधार पर खारिज हुआ था, परिवादी के बयान विचारण न्यायालय के समक्ष हो चुके हैं। अभियुक्त दिनांक 10फरवरी, 2024 से अभिरक्षा में है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **गोपाल लाल जाट पुत्र स्व. जीवनराम** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास

हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal/92